न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 105 / 2013

प्रकरण दर्ज तिथि :— 29.08.2013

जीसीएमएस नम्बर :— 2013 / 00197

वादीगण

1. कौशल्या पत्नि दिलीप पुत्र प्रभुजी
   1.1दिलीप पुत्र प्रभुजी
2. सन्तोष पुत्री दिलीप पुत्र प्रभुजी
3. ओमप्रकाश पुत्र दिलीप पुत्र प्रभुजी
4. ज्योतसना पुत्री दिलीप पुत्र प्रभुजी
5. दिपीका पुत्री दिलीप पुत्र प्रभुजी
6. भावनेश पुत्र दिलीप पुत्र प्रभुजी
7. ललीत पुत्र दिलीप पुत्र प्रभुजी अव्यस्क जिसके कुदनरती वली उसकी माता कौशल्या
8. कमला पत्नि स्वर्गीय हीरालाल पुत्र प्रभुजी
9. मीना पुत्री स्वर्गीय हीरालाल प्रभुजी जातियान नायक निवासीगण गिरी
10. सोहनलाल पुत्र गुदाजी जाति नायक निवासी गिरी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मदनलाल पुत्र छोगाजी
2. भंवर पुत्र मिसरूजी
3. भूण्डाराम पुत्र घेवरजी
4. विनीया पुत्र घेवरजी
5. अशोक पुत्र हजारीरामजी
6. किशोर पुत्र हजारीरामजी
7. घनश्याम पुत्र हजारीरामजी जातियान नायक निवासीगण गिरी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर
9. उपपंजीयन अधिकारी कार्यालय रायपुर
10. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री मदनलाल लक्ष्कार अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 08.02.2024

वादी की ओर से वकील द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक बावरा के खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की खातेंदारी जमीन आई हुई हैं। उपरोक्त खातेदारी जमीन की जमाबंदी वाद के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझाा जावें। उपरोक्त खातेदारी जमीन की जमाबन्दी वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे । उक्त खातेदारी जमीन में वादीगण संख्या- 1 से लगायत 9 का 4/10 हिस्सा व वादी संख्या- 10 का 2 / 10 हिस्सा आता है । व प्रतिवादीगण संख्या - 1 से लगायत 7 का 4 / 10 हिस्सा आता है । उपरोक्त भूमि संयुक्त परिवार की पुश्तैनी जायदाद है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण दो सग्गे भाईयो की सन्तान है । दोनो सग्गे भाई रामा व पहाडा थे, पहाडा के दो पुत्र थे, जिसमें भोला व प्रभु, व रामा के देवा तथा देवा के गुदा, तथा गुदा के वादी संख्या - 10 सोहनलाल पैदा हुआ। वादीगण संख्या - 1 से लगायत 9, प्रभु के वारिसान है। जो कि प्रभु के पुत्र दिलीप के वादीगण संख्या- 1 से लगायत 7 एवं हीरालाल के वादीगण संख्या- 8 व 9 वारिसान है। प्रतिवादीगण संख्या - 1 से लगायत 7, भोला पुत्र काला के 4 पुत्र छोगा, हजारी, मिसरू, घेवर के वारिसान है, उपरोक्त सभी के पूर्वजो का उपरोकत खातेदारी की भूमि सटलमेन्ट से पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी, जिस पर सभी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था, जो आज भी वर्तमान में सभी संयुक्त कब्जे काश्त की चली आ रही है, जिसमें प्रतिवादीगण ने आज दिन तक किसी प्रकार के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में कोई दखलनदांजी पैदा नही की, प्रतिवादीगण संख्या - 5,6,7 आज से करीब 03 माह पूर्व उक्त भूमि को बैचान करने की कोशिश की, तब वादीगण ने रिकोर्ड देखा, तथा पटवारी पटवार हल्का गिरी से मिले, तब वादीगण को यह जानकारी हुई कि रिकोर्ड में उक्त खातेदारी भूमि के खाते में वादीगण का नाम दर्ज नही है, केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या- का नाम दर्ज है। सटलमेन्ट होने के पश्चात् प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं वादीगण के पूर्वज के मध्य आपसी पारिवारीक समझौता हुआ था, जिसमें प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने वादीगण संख्या- 1 से लगायत 9 के नाम 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने दिनांक 31.05.1980 सम्वत 2036 वार शनिवार को देवीसिंहजी राठौड गिरी वारा के कमरा में सामिल होय फैसला किना है, जो लिखा गया, प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं वादीगण संख्या - 1 से लगायत 9 के पूर्वजो ने हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी कर देवीसिंहजी के सामने तसदीक किया था । उक्त लिखापढी की बाद

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पत्र के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे । वादी संख्या - 10 सोहनलाल के पक्ष मे दिनांक - 31.05.1994 को हजारीलाल, अशोककुमार, घनश्याम, किशोरकुमार वैटा पौता भोलाजी राव दिलीपकुमार पुत्र प्रभुजी जाति- नायक (हुडिया) वास गिरी वाला तहसील - रायपुर में अपने पारिवारीक समझौते में एक इकरारनामा लिखा, इकरारनामे में उपरोक्त खातेदारी की भूमि को 30 बीघा भूमि बताया, 30 बीघा भूमि में से 06 बीघा जमीन जो गलती से वादी संख्या - 10 के हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है, उसकी रजिस्ट्री वादी संख्या - 10 सोहनलाल के नाम करवा देगे, तथा कब्जा वादी संख्या - 10 सोहनलाल का स्वीकार किया है। मौके पर वादी संख्या- 10 का उक्त खातेदारी की भूमि में 06 बीघा भूमि पर कब्जा सटलमेन्ट के पूर्व से संयुक्त परिवार के सदस्य होने के कारण जो हिस्सा उसका हिस्सा आता है, उस हिस्से के अनुसार वह कब्जा काश्त लगभग जब से गिरी गाँव बना तब से अर्थात् ठाकुरो के समय से वादी संख्या 10 सोहनलाल व उसके पूर्वज उक्त खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। जिसमे विभिन्न समय पर सम्वत् 2019 की गिरदावरी स्लीप, सम्वत 2015 में बिगोडी की रसीद संख्या 9988 बुक नम्बर 19 जो कि सम्वत 2015 में जारी की गयी है, जिसमें जमा करवाने वाला सोहनलाल पुत्र गुदा नायक है। अन्य रसीद 2679 बुक नम्बर 62 जारी की है, जिसमें भी हस्ते सोहनीया पुत्र गुदा नायक नाम दर्ज है। इस प्रकार ठीकाना' रायपुर द्वारा सम्वत 1981 में लगान वसूल किया, जिसकी रसीद ठीकाना रायपुरद्वारा गाँव गिरी पौता री जारी की गयी, उक्त लगान देवा पुत्र रामा के नाम उसके पूर्वजगण के नाम लगान वसूली की रसीद ठिकाना रायपुर द्वारा समय समय पर जारी की गयी, उक्त रसीदो की फोटो प्रतियाँ वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे । वक्त सटलमेन्ट वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भोलाजी घर के मुख्या थे, संयुक्त परिवार था, वक्त सटलमेन्ट वादीगण संख्या - 1 से लगायत 9 के पूर्वज प्रभु, भोलाजी के छोटे भाई थे, इस कारण केवल उक्त भूमि परिवार का मुख्या होने के कारण भोलाजी के नाम दर्ज की गयी, तथा प्रभुजी के नाम सटलमेन्ट अधिकारियो की भूल वंश दर्ज करने से रह गयी, जबकि मौके पर प्रभुजी भी अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते थे। इसी प्रकार वादी संख्या - 10 के पूर्वज गुदा, देवा एवं रामा का देहान्त हो चुका था, वक्त सटलमेन्ट वादी संख्या - 10 सोहनलाल मात्र 4-5 माह का था, वादी संख्या - 10 की माता उसके पिता के देहान्त होने के पश्चात् छोड कर चली गयी, जिसे दादी ने पाल पौश वडा किया | दादी भी वृद्ध एवं महिला होने के कारण अपना नाम उपरोक्त खातेदारी में दर्ज नही करवा सकी, तथा सटलमेन्ट अधिकारियो से सम्पर्क नही कर सकी, सटलमेन्ट अधिकारियो की भूल वंश वादीगण संख्या - 1 से लगायत 10 के पूर्वजो का मौके पर कब्जा काश्त होने के बावजूद भी उनका नाम खातेदारी में दर्ज नही किया जा सका। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने समय समय पर पारिवारीक समझौत किये, समझौते के अनुसार वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में आज दिन तक कोई रोक टोक नही की, लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो का देहान्त हो चुका है, वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 5 से लगायत 7 के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है, जब वादीगण ने प्रतिवादीगणसंख्या- 5 से लगायत 7 को पारिवारीक समझौते के अनुसार भूमि नाम दर्ज करवाने हेतू दिनांक-25.07.2013 को कहाँ, तब प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि पारिवारीक समझौते के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया, तथा उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियो को बैचान करने की धमकिया दी, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानुनी हक अधिकार नही है । वादीगण काश्तकार व्यक्ति है, तथा उक्त भूमि पर काश्त करके अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उक्त जमीन पर मौके पर वन्टवाडा भी हो रखा है, तथा वादीगण अपने अपने हक हिस्से की जमीन पर मौके पर काविज होकर जमीन का उपयोग उपभोग व काश्त बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करते आ रहे है। अगर वादीगण को राजस्व रेकर्ड में नाम नही होने से उक्त खातेदारी जमीन से बेदखल आदि कर दिया जाता है, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, तथा वादीगण के परिवार के भूखे मरने की नौवत आ जायेगी, तथा वादीगण को अपने हितो व अधिकारो से वंचित होना पडेगा । वादीगण उक्त खसरा नम्बरान की जमीन में अपने नाम की घोषणा करवाने के पूर्ण अधिकारी है, लिहाजा वादीगण अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी संख्या- 8 राजस्व जमीन के लैन होल्डर है, तथा प्रतिवादी संख्या- 9 उपपंजीयन अधिकारी है, तथा प्रतिवादी संख्या - 10 के अधिनस्थ प्रतिवादी संख्या- 8 व 9 है, इसलिये उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है । प्रतिवादीगण संख्या- 8 से 10 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा- 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त जमीन का बैचान वक्शीश कर देगे, तथा वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल आदि कर देगे, जिससे वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा। प्रतिवादीगण उक्त जमीन को बैचान करने पर उतारू है। जिस कारण से वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद श्रीमानजी से अनुमति लेकर पेश किया जा रहा है। अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है । विनायदावा दिनांक-

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (म्यावर)

25.07.2013 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में पारिवारीक समझौते के अनुसार इन्द्राज करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने तथा प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के इन्द्राज का फायदा उठाते हुये उक्त जमीन को किसी अन्य को वैचान करने की धमकिया देने पर वमुकाम - गिरी, तहसील- रायपुर में पैदा होता है, जो अदालत वाला के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है । मालियत वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा व वन्टवाडा पर 200- 200 /- रूपये कायम की जाती है, जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क स्टाम्प 4 /- रूपये का वाद के साथ पेश है । पक्षकारान के निवास स्थान, वाद की प्रकृति, वाद की मालियत इत्यादि के आधार पर उक्त वाद का क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार श्रीमान के न्यायालय को होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है । डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या- 1 एक में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन के वादीगण खातेदार काश्तकार है, जिसमें वादीगण संख्या- 1 से लगायत 9 का 4 / 10 हिस्सा व वादी संख्या - 10 का 2/10 हिस्सा आता है, उक्त हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे । डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या- 1 एक में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन में वादीगण के हक हिस्से में वादीगण के उपयोग उपभोग, कास्त व कास्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखंलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि करे, और ना ही प्रतिवादीगण अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त जमीन का वैचान, बक्शीश इत्यादि करे, और ना ही उक्त जमीन को भारयुक्त करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पावन्द फरमावे | डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या- 8 व 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द किया जावे कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन बावत किसी प्रकार का वैचान दस्तावेज पेश करने पर उसका पंजीयन नही करावे ।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा मय इकबालिया जवाब श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता ने पेश किया हैं जो संलग्न हों। जिसमें वादपत्र को सही होने से स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। प्रतिवादीगण संख्या 03 से 07 के सम्मन तामिल के बाजवूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। वादीगण ने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह का शपथ पत्र पेश किया हैं जो संलग्न किया गया है। जिनके दस्तावेज प्रदर्श कर बयान कलमबद्ध किये गये हैं। वादीया कौशल्या पत्नि स्व दिलीप पुत्र स्व प्रभुजी जाति नायक निवासी गिरी द्वारा शपथ पेश किया जिसमें बताया कि मेरे ससुर स्व प्रभु पुत्र काला एवं भोला पुत्र काला एवं सोहनलाल पुत्र स्व गुदा के दादा देवा की पुश्तैनी जमीन महादेव में सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी के खाता संख्या 07/07 खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी कुल रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा की पुश्तैनी जमीन आयी हुई हैं। जिस पर हमारा की कब्जा काश्त एवं मालिकाना हक अधिकार हैं। मौके पर मेरे दादी ससुर प्रभुजी एवं मेरे पति स्व दिलीप व मेरे जेठ स्व हीरालाल के हिस्से एवं कब्जे में 4/10 यानि करीब 11 बीघा 15 बिस्वा जमीन आती हैं। जिस पर मैं एवं मेरे पुत्र व प्रभुजी की आल औलाद बहैसियत मालिक काबिज हैं एवं स्व भोलाजी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का कुल जमीन में 4/10 हिस्सा यानि 11 बीघा 15 बिस्वा जमीन पर स्व हजारी के पुत्र 05, 06, 07 की जमीन ही बंट एव हिस्से में आती हैं एवं गुदा के पुत्र सोहनलाल के कुल जमीन मे से 2/10 हिस्सा यानि 05 बीघा 17 बिस्वा जमीन मौके पर बंट एवं हिस्से में आती हैं। जिस पर सोहनलाल व उसका परिवार काबिज हैं। रामाजी व पहाडाजी सगे भाई थे, एव पहाडाजी के दो पुत्र स्व भोलाजी व स्व प्रभुजी हुए वादीगण संख्या 01 से 09 स्व प्रभुजी की आल औलाद हैं। व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 स्व भोलाजी की आल औलाद हैं रामाजी के पुत्र देवा हुये व देवा के पुत्र गुदा हुये व गुदा का पुत्र वादी संख्या 10 सोहनलाल हैं। इसप्रकार उपरोक्त जमीन में उपरोक्त बताये बंट के अनुसार मौके पर वक्त सेटलमेट के पहले से आज भी काबिज हैं एवं अपने अपने बंट एव हिस्से की जमीन को उपजाउ व समतल एवं पाला आदि लगाने में

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

बडे भोला थे एवं स्व प्रभुजी व स्व रामाजी के पुत्र छोटे एवं नाबालिग थें। इसलिये भोलाजी अकेले का नाम उक्त खातेदारी में गलत दर्ज हो गया। जबकि मौके पर सभी उपरोक्त बंट अनुसार मौके पर काबिज हैं। सेंटलमेट के पश्चात स्व भोलाजी स्व पभुजी व रामा के वारिसान के मध्य आपसी पारिवारिक समझौता हुआ था, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 कें पूर्वजों ने वादीगण संख्या 01 से 09 के पक्ष में दिनांक 31.05. 1980 संवत् 2036श निवार को गिरी निवासी देवीसिंहजी राठौड के यहां शामिल होकर देवीसिंह के सामने लिखापढी की, वादी संख्या 01 से 09 का उक्त पुश्तैनी जमीन में 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया , जिसकी नकल पत्रावली पर मौजूद हैं। दिनांक 31.05.1994 को हजारीलाल अशोककुमार, घनश्याम, किशोरकुमार बेटा, पोता भोलाजी का मेरे पति दिलीप कुमार पुत्र प्रभुजी के इकरारनामा के जरिये उपरोक्त जमीन में से 2/10 की करीब 06 बीघा जमीन सोहनलाल पुत्र गुदा को देने बाबत लिखत की थी जिसकी रजिस्टी सोहनलाल के नाम करवाने बाबत लिखत कर हस्ताक्षर व अंगूठे किये व सोहनलाल ने सवत 2015, 2019 एवं बाद में समय समय पर जमीन की बिगोडी जमा करवाते हे।। जिस पर सोहनलाल का कब्जा काश्त हैं।

प्रस्तुत बयान कलमबद्ध किये गये थें जिसमें पीडब्यू 1 हैं गवाह के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में वर्णित कथन पढ सुन कर सही होना स्वीकार किया गया हें। पीडब्यू 1 स्थान पर गवाह की अगूठा की निशानी हैं। गवाह स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की जमीन पुश्तैनी खसरा नम्बर 1535 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल जमीन 29 बीघा 07 बिस्वा आई हुई हैं। जिसमें करीब 11 बीघा 15 बिस्व जमीन मेरे पति दिलीपजी एव मेरे जेठ स्वर्गीय श्री हिरालाल के बंट हिस्से मे आती हैं। मेरे पति दिलीप व मेरे जेठ हिरालाल प्रभु के लडके थें। प्रभुजी व भोलाजी दोनो कालाजी के पुत्र थें। उक्त जमीन गलती से प्रभु के भाई भोला अकेले के नाम गलत दर्ज हो गई। भोला के चारो पुत्र छोगा, हजारी मिश्रु व घेवर जो प्रतिवादीगण हैं। इनके वारिसान का भी कुल जमीन में 4/10 यानी करीब 11 बीघा 15 बिस्वा जमीन आती हैं। उक्त जमीन में देवा के पुत्र गुदा व गुदा के पुत्र सोहनलाल जो भी हमारे वारिसान हैं। उनकी भी 06 बीघा जमीन आती हैं। मेरे ससूरजी स्व प्रभु एवं मेरे बडे ससूरजी भोलाजीके पुत्र छोगा, मिश्रीलालजी, घेवरजी, हजारीजी सभी ने मेरे जेठ हिरालाल व मेरे पति दिलीप कुमार के पक्ष में दिनांक 31.05.1980 संवत 2037 को एक लिखित देवीसिंह राठौड गिरी वाला के कमरे में बैठ कर फैसला लिया । जिसमे हमारी जमीन के खर्चे के 300 रू लेकर हमारे नाम जमीन करने की लिखापढी ।

वादी सोहनलाल पुत्र गुदा निवासी गिरी द्वारा पेश मुख्य साक्ष्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया हैं जिसमें स्व प्रभु पुत्र काला एवं भोला पुत्र काला एवं सोहनलाल पुत्र गुदा के दादा देवा की पुश्तैनी जमीन महादेव मे सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी के खाता संख्या 07/07 खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, किस्म बारानी हैं । जिस पर वादी संख्या 10 सोहनलाल का नाम 2/10 में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करावें। उक्त सोहनलाल के बयान कलमबद्ध कर पत्रावली संलग्न किये गये हैं। वादी सोहनलाल ने साक्ष्य के रूप में मुख्या परीक्षण का साक्ष्य का शपथ पत्र पी डब्यू 2 पेश किया जिसमें वर्णित तमाम कथन को पढ सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया। जिस पर ए से बी गवाह सोहनलाल के हस्ताक्षर हैं वाद में वर्णित जमीन में करीब 06 बीघा जमीन मेरी आती हैं। जिस पर मैं मेरे पिता गुदा व दादाजी देवा पुत्र रामा के समय से लगातार खेती करते रहे हैं। यह जमीन पुश्तैनी हैं। सेटलमेन्ट के समय भोला पुत्र काला परिवार में बडे होने से उनके अकेले के नाम गलत दर्ज हो गई। उक्त लिखित ईकरारनामा एवं कब्जा के आधार पर 06 बीघा जमीन की घोषणा अपने नाम करवाने का अधिकार रखता हूं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 फोरमल पक्षकार हैं जिन्होने वादी के वाद का समर्थन करते हुए इकबालिया जबाव व राजीनामा पेश कर दिया। प्रतिवादीगण संख्या 5,6,7 के नाम सम्पूर्ण जमीन की जमाबंदी का गलत इन्द्राज हो रखा था, प्रतिवादीगण संख्या 5, 6,7 इफेक्टीव पक्षकार थे, जिनके खिलाफ एकतरफा आदेश हो रखा हैं। वादग्रस्त जमीन बाबत वाद पेश करने से आज तक राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति का आदेश प्रभावी हैं लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 05, 06,07 जो 4/10 हिस्सेदार हैं उन्होने अपनी बहिने मंजू व इन्दूदेवी के नाम का इन्द्राज यथा स्थिति के आदेश के बावजूद गलत तरीके से प्रतिवादीगण संख्या 5, 6,7 ने गलत नामों का इन्द्राज करवाकर यथास्थिति के आदेश की अवहेलना की हैं। वाद प्रस्तुत के समय इनके नाम का इन्द्राज नहीं था, प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 एवं इनके पूरे परिवार एव वारिसान का 4/10 हिस्सा ही आता हैं। एवं वादीगण 01 से 09 का 4/10 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 10 सोहनलाल का 2/10 हिस्सा आता हैं। वर्तमान रिकार्ड में अशोक, किशोर, घनश्याम जो प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 हैं के साथ गलत रूप से इनकी बहने मंजू एव इन्दुदेवी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खातेदार हैं वो 4/10 हिस्सा आता हैं, लिहाजा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 01 से 09 का 4/10 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 10 श्री सोहनलाल पुत्र गुदा का 2/10 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 04/10 वर्तमान खातेदार हिस्सा आता हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र एकपक्षीय स्वीकार किया गया हैं।

वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि ने बताया कि सेंटलमेन्ट से आज दिनांक तक वादीगण का उनके हिस्से अनुसार ही कब्जा काश्त हैं। उक्त वादपत्र में अंकित खसरान में अब वर्तमान की जमाबंदी में खातेदार अशोक पुत्र हजारीराम, इन्दुदेवी पुत्री हजारीराम, किशोर पुत्र हजारीराम, घनश्याम पुत्र हजारीराम, मंजुदेवी पुत्री हजारीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं जिन्हे हटाया जाकर पूर्व में पेश जमाबंदी एवं प्रदर्श दस्तावेजों तथा उपरोक्त हिस्से घोषणा करने हेतु निवेदन हैं। सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी के खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के कुल रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार अशोक पुत्र हजारीराम, इन्दुदेवी पुत्री हजारीराम, किशोर पुत्र हजारीराम, घनश्याम पुत्र हजारीराम, मंजुदेवी पुत्री हजारीराम को हटाया जाकर वादीगण संख्या 01 से 09 का 4/10 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 10 श्री सोहनलाल पुत्र गुदा का 2/10 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 04/10 वर्तमान खातेदार घोषित करवाने हेतु आदेश फरमावें।

बहस समायत की गई।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी के खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के कुल रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार अशोक पुत्र हजारीराम, इन्दुदेवी पुत्री हजारीराम, किशोर पुत्र हजारीराम, घनश्याम पुत्र हजारीराम, मंजुदेवी पुत्री हजारीराम को हटाया जाकर वादीगण संख्या 01 से 09 का 4/10 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 10 श्री सोहनलाल पुत्र गुदा का 2/10 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 04/10 वर्तमान खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (नागौर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी के खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के कुल रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार अशोक पुत्र हजारीराम, इन्दुदेवी पुत्री हजारीराम, किशोर पुत्र हजारीराम, घनश्याम पुत्र हजारीराम, मंजुदेवी पुत्री हजारीराम को हटाया जाकर वादीगण संख्या 01 से 09 का 4/10 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 10 श्री सोहनलाल पुत्र गुदा का 2/10 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 04/10 वर्तमान खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. कौशल्या पत्नि दिलीप पुत्र प्रभुजी
   1.1दिलीप पुत्र प्रभुजी
2. सन्तोष पुत्री दिलीप पुत्र प्रभुजी
3. ओमप्रकाश पुत्र दिलीप पुत्र प्रभुजी
4. ज्योतसना पुत्री दिलीप पुत्र प्रभुजी
5. दिपीका पुत्री दिलीप पुत्र प्रभुजी
6. भावनेश पुत्र दिलीप पुत्र प्रभुजी
7. ललीत पुत्र दिलीप पुत्र प्रभुजी अव्यस्क जिसके कुदनरती वली उसकी माता कौशल्या
8. कमला पत्नि स्वर्गीय हीरालाल पुत्र प्रभुजी
9. मीना पुत्री स्वर्गीय हीरालाल प्रभुजी जातियान नायक निवासीगण गिरी
10. सोहनलाल पुत्र गुदाजी जाति नायक निवासी गिरी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मदनलाल पुत्र छोगाजी
2. भंवर पुत्र मिसरूजी
3. भूण्डाराम पुत्र घेंवरजी
4. विचीया पुत्र घेवरजी
5. अशोक पुत्र हजारीरामजी
6. किशोर पुत्र हजारीरामजी
7. घनश्याम पुत्र हजारीरामजी जातियान नायक निवासीगण गिरी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर
9. उपपंजीयन अधिकारी कार्यालय रायपुर
10. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 105/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल लक्ष्कार अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री जसवंत सिंह सांखला एवं शेष अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा गिरी पटवार हल्का गिरी के खसरा नम्बर 1533 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, 1534 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं 1564 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के कुल रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार अशोक पुत्र हजारीराम, इन्दुदेवी पुत्री हजारीराम, किशोर पुत्र हजारीराम, घनश्याम पुत्र हजारीराम, मंजुदेवी पुत्री हजारीराम को हटाया जाकर वादीगण संख्या 01 से 09 का 4/10 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 10 श्री सोहनलाल पुत्र गुदा का 2/10 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 04/10 वर्तमान खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज.....×.....मुवलिक.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक .....×.....को अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	—	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	—	27	00
स्टाम्प वकालतनामा	—	27	00	स्टाम्प हाजरी	—	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	—	00	00	मेहनताना वकील पर	—		
मेहनताना वकील	—			खर्चा गवाहान	—		
खर्चा गवाहान	—			फीस कमिश्नर	—		
फीस कमिश्नर	—			बाबत इजराय हुक्मनामा	—		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—			मुतफरिक	—	00	00
मुतफरिक	—	10	00	मीजान		27	00
मीजान		41	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।